निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राज0

बईजलास श्री दिनेशकुमार मण्डोवरा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी ,

प्रकरण संख्या– 18/2017 दिनांक–20/7/17

उनवान–

1– रेगलाल पिता नारायणजी जाति कुलमी आयु वयस्क पेशा खेती निवासी– कारूण्डा तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राज0

......वादी/प्रार्थी

::बनाम::

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राज0

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 ले0रे0एक्ट

–निर्णय–

1– प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने दिनांक –8/5/71 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से मोजा कारूण्डा पटवार हल्का कारूण्डा तहसील छोटीसादडी की साबिक आराजी नम्बर 889 रकबा 5 बीघा लगान आठ रूपया सात आना, में से केवल 10 बिस्वा आराजी जमीन 2500 रूपय में खरीदी थी जिसके पडोस पुर्व – रास्ता, पश्चिम– नाला , उत्तर इसी नम्बर की आराजी , दक्षिण –बाडा उंकार प्रभुजी का तथा बाद खरी से इस जमीन पर प्रार्थी मालिक काबिज हैं । रजि0 विक्रय पत्र से 10 बिस्वा आरी खरीद सुदा जमीन को नियमानुसार इन्तकाल नम्बर 663 से दिनांक 17/01/72 को खोला गया जिसका सं0–2030–2033 की जमाबन्दी में दाखिला हैं, सिबुत कें फोटो प्रति विक्रय पत्र , इन्तकाल नम्बर 663 व जमाबन्दी की नकल 2030 –2033 की पेश हैं।

2– यह कि प्रार्थी आराजी नम्बर 889 रकबा 5 बीघा में से 10 बिस्वा आरी कलमः नं0– एक में वर्णित जमीन पर सन् 71 से साबिधकार काबिज मालिक हैं , सेटलमेन्ट विभाग द्वारा पेमाईशी कार्य किया गया तथा पुराने आराजी नम्बर 889 रकबा 5 बीघा के नये नम्बर आराजी नम्बर 1456 रकबा 0.05 हैक्टर वादी प्रार्थी के नाम करी दी गई व शेष 0.05 हैक्टर जमीन केता के नाम रहने दी। सेटलमेन्ट वालो ने प्रार्थी की खरिदी 10 बिस्वा जमीन में से 0.05 हैक्टर जमीन के नये नम्बर आराजी नम्बर 1456 रकबा 0.05 हैक्टर वादी प्रार्थी के नाम कर दी व शेष जमीन के नम्बर 1456/2947 रकबा 0.04 हैक्टर भंवरलाल पिता नन्दा के नाम कर दी गयी व अभी मौके पर उनके वारिशान के नाम दर्ज रेकार्ड है।

3– यह कि प्रार्थी/वादी आराजी नम्बर 889 रकबा 5 बीघा में से 10 आरी जमीन जिसके नये नम्बर बाद सेटलमेन्ट नम्बर 1456 रकबा 0.05 हैक्टर , व आराजी नम्बर 1456/2947 रकबा 0.04 हैक्टर पर काबिज हैं व प्रार्थी के उपयोग उपभोग में हैं जमीन आबदी से लगी हुई आराजी नम्बर 1456 रकबा 0.05 हैक्टर प्रार्थी के नाम नये नम्बर में हैं व आराजी नम्बर 1456/2947 रकबा 0.04 हैक्टर इस इन्द्राज दुरूस्ती आवेदन के माध्यम से अपने नाम कराने का अधिकारी होन से आवेदन हैं सभी दस्तावेजी साक्षय साथ पेश हैं।

प्रकारण दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी/विपक्षी बावजुत सुचना दिनांक 30/06/2017 को प्रतिवादी/विपक्षी अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वस्तुस्थिति जानने हेतु तहसीलदार छोटीसादडी को मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु लिखा गया । तहसीलदार छोटीसादडी की रिपोर्ट पेश हुई जिसमें पटवार हल्का कारूण्डा ने अपनी रिपोर्ट में अंकीत किया कि मोजा कारूण्डा के आराजी नम्बर 1456 रकबा 0.05 हैक्टर , आराजी नम्बर 1456/2947 रकबा 0.04 हैक्टर का मौका देखा गया मौके अनुसार उपरोक्त दोनो आराजीयात पर श्री रेगलाल पिता नारायण कुलमी सा.देह खातेदार का कब्जा हैं , उपरोक्त आराजीयात पर मौतबिरान अनुसार कई वर्षो से श्री रेगलाल कुलमी का कब्जा हैं। यह जाहीर आया यह भुमि भंवरलाल पिता नन्दा तेली ने श्री रेगलाल पिता नारायण कुलमी को विक्रय की थी उस विक्रय के समय से ही यह नम्बरान श्री रेगलाल कुलमी के कब्जे में हैं। अभिलेख अनुसार आराजी नम्बर 1456 रकबा 0.05 हैक्टर श्री रेगलाल पिता नारायण कुलमी के नाम व आराजी नम्बर 1456/2947 रकबा 0.04 हैक्टर रमेशचन्द ,छामा , कमली पिता भंवरलाल तेली के नाम दर्ज रेकार्ड हैं।

मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और पत्रावली का आवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्द तहसीलदार छोटीसादडी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया साक्ष्य एवं पटवार हल्का कारूण्डा की रिपोर्ट व प्रार्थी के द्वारा पस्तुत शपथपत्र , गवाह– छगनलाल पिता कंवरलाल पाटीदार कुलमी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से यह जाहीर होता है कि आराजी नम्बर आराजी नम्बर 1456/2947 रकबा 0.04 हैक्टर प्रार्थी ने कय की थी तब से प्रार्थी का ही कब्जा चला आ रहा हैं जिसे प्रार्थी अपनी उक्त आराजीतयात को अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हैं यदि उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में घोषित नही गई तो प्रार्थी को भारी आर्थिक व मानसिक क्षति होना संभावित हैं उक्त तथ्यो को मधे नजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत हैं।

–आदेश–

अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी के खिलाफ मोजा– कारूण्डा पटवार हल्का कारूण्डा तहसील छोटीसादडी राज0 की आराजी नम्बर 1456/2947 रकबा 0.04 हैक्टर में खातेदार – रमेशचन्द, छामा ,कमली पिता भवंरलाल तेली का नाम विलोपित कर प्रार्थी – रेगलाल पिता नारायण कुलमी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया जाता हैं। तहसीलदार छोटीसादडी को आदेशित किया जाता हैं कि मोजा– कारूण्डा पटवार हल्का कारूण्डा तहसील छोटीसादडी राज0 की आराजी नम्बर 1456/2947 रकबा 0.04 हैक्टर में खातेदार – रमेशचन्द, छामा ,कमली पिता भवंरलाल तेली का नाम विलोपित कर प्रार्थी – रेगलाल पिता नारायण कुलमी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करें एवं पालना रिपोर्ट दिनांक ....तक पेश करें।

खर्चा प्रार्थी स्वयं वहन करें।

निर्णय आज दिनांक ....20/7/17.... को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ राज0

उपखण्ड अधिकारी